



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 203]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 22, 2013/माघ 2, 1934

No. 203]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 22, 2013/MAGHA 2, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2013

का.आ. 219(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपने हेतु, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988(1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1094 (अ), तारीख 04.07.2007 द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के 216.914 कि.मी. से 318.000 कि.मी. (बंगलौर - होसकोटे - कर्नाटक / आंध्रप्रदेश सीमा सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् “ प्राधिकरण ” संदर्भित किया गया है) को सौंपा है ;

और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में प्राधिकरण में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर 216.912 कि.मी. से 239.100 कि.मी तक मुलबागल - आन्ध्रप्रदेश/ कर्नाटक सीमा सेक्शन (जिसे इसमें इसके पश्चात् “ उक्त खण्ड ” संदर्भित किया गया है) के चार लेन में प्रचालन हेतु उक्त खण्ड के विकास और अनुसंधान के लिए 28.02.2012 को प्रस्तुत बोलियों के सफल बोलीदाता मैसर्स जे.एस.आर. मुलबागल टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय नम्बर 318, श्री सौध, 100 फुटा रोड, फर्स्ट स्टेज, इन्दिरा नगर, बंगलौर - 560038 कर्नाटक भारत में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त करार कहा गया है) ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008, (जिसे इसमें इसके पश्चात् “नियम” संदर्भित) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खण्ड के निर्माण, अनुसंधान, प्रबंध और प्रचालन, निवेशित राशि पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का परिमाण तथा प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि

उक्त खण्ड के उपयोग के लिए सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 22.188 कि.मी. हेतु सारणी 1 के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट दर (जिसे इसमें इसके बाद “आधार दर” संदर्भित किया गया है) पर नीचे सारणी 1 में निर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर चार या अधिक लेन के उपयोग हेतु शुल्क उद्गृहीत और संग्रहीत किया जाएगा और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, जो भी बाद में हो, समापन की तारीख तक, जैसा कि करार में निर्दिष्ट किया गया है, शुल्क को संग्रहीत करने और उसे प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है ;

सारणी 1

यान का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार दर (रूपये में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के माल वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीन (एचसीएम) अथवा मिट्टी खोदने के उपकरण (इएमइ) अथवा मल्टी एक्सल यान (एमएवी) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बहुत बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

टिप्पण :-

1. नीचे लगाए गए शुल्क का उद्ग्रहण एवं संग्रहण निम्नलिखित पथकर (टोल) प्लाजा (प्लाजाओं) पर ऐसे पथकर प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट दूरी के लिए शोध्य और संदेय होगा :

पथकर (टोल) प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
कि.मी./चैनेज 217.450 कोलार जिनके गड्डुलूर गांव के नजदीक	22.188

2. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन गैर - वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से 20 कि.मी. के भीतर रहता हो तो उसके लिए वर्ष 2012- 13 के लिए, मासिक पास की दर 200.00 रूपए (दो सौ रूपए मात्र) प्रतिमाह होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार, उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

3. राजमार्ग खंड पर बहुयात्राओं के लिए पास निम्नलिखित दरों पर प्रदान किये जाएंगे, अर्थात् :-

संदेय शुल्क	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो तिहाई	पचास या उससे अधिक	संदाय की दिनांक से एक माह

4. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क मार्ग उपलब्ध न हो ।
5. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन्हें उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए ।
6. यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।
7. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।
8. ऊपर सारणी 1 और 2 में यथा उल्लेखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. की आधार दरों के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक आधार पर संशोधन किया जायेगा परन्तु शर्त यह है कि छह महीने के अन्दर कोई संशोधन नहीं किया जाएगा तथा उसे तदनुसार, कम-से-कम अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के एक-एक समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

[फा. सं. भाराप्र/13013/719/12-13/सीओ/जीसी-मुलबागल-एपी/कर्नाटक बोर्डर]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2013

S.O. 219(E).—Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping Road Transport and Highway number S.O. 1094 (E), dated 04/07/2007, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988) for entrustment to NHAI, the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 216.914 to kilometer 318.000 [Bangalore – Hoskote – Karnataka/Andhra Pradesh Border section] of National Highway No. 4 in the State of Karnataka to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with M/s J.S.R. Mulbagal Tollways Private Limited having its registered office at No. 318, Sri Soudha, 100 Feet Road, 1st Stage, Indira Nagar, Bangalore-560038, Karnataka, India. (hereinafter referred to as the “Concessionaire”), the successful bidder for bids submitted on 28.02.2012 for the development of the Mulbagal - Andhra Pradesh/Karnataka Border section from Km 216.912 to Km 239.100 on National Highway No. 4 (hereinafter referred to as the “said section”) to Four lane operation and maintenance of the said section.

Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "Rules"), the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the authority and the concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road section length 22.188 km for use of the four and more lane (hereinafter referred to as "base rate") on the Type of Vehicles specified in Table 1 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

TABLE 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

Notes :-

- The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km/Ch. 217.450 (near Gaddurur village in Kolar district)	22.188

- The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 200.00 (Rupees Two Hundred Only) for the year 2012-13 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

- For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	Fifty or more	One month from date of payment

4. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
5. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.
7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.
8. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules provided that no revision shall be effected within six months and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

[F. No. NHAI/13013/719/12-13/CO/GC-Mulbagai - AP/Karnataka Border]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

310 GI/13-2